
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 पार्ट- ए
(संदर्भ: कंडिका झारखण्ड की रूप रेखा; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय				
ए. सामान्य आँकड़ा				
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा
1	क्षेत्रफल			79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार		2.69 करोड़
	(बी)	2010-11		3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति कि.मी.)		338 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व= 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		414 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का संख्या* (अखिल भारतीय अनुपात 21.92 प्रतिशत)			40.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80%)		44 प्रतिशत
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय 74.04%)		67.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय= 42 प्रति 1000 जीवित जन्म)			41
7	गिनी गुणांक***			
	(ए)	ग्रामीण(अखिल भारत-0.29)		0.24
	(बी)	शहरी (अखिल भारत-0.38)		0.36
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2012-13			₹ 156781 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.सी.ए.जी.आर. (2003-04 से 2012-13)		झारखण्ड	13.95 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.94 प्रतिशत
10	(प्रति व्यक्ति) स.रा.घ.उ.सी.ए.जी.आर. (2003-04 से 2012-13)		झारखण्ड	15.62 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	16.37 प्रतिशत
11	जन संख्या वृद्धि (2003-04 से 2012-13)		झारखण्ड	14.01 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.22 प्रतिशत
ब. वित्तीय आँकड़ा				
क्र.सं.	विवरण		आँकड़ा (प्रतिशत में)	
	सी.ए.जी.आर.		2003-04 से 2011-12	
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
				2003-04 से 2012-13
				झारखण्ड
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	18.83
2.	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	17.44	16.96
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	12.64	13.46
4.	डी.	कुल व्यय का	14.15	17.92
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	16.83	15.81
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	19.01
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.35	17.85
8.	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	14.18	@
9.	आई.	पेंशन का	18.36	19.29
				20.19

*सामान्य आँकड़ा का स्रोत: बी.पी.एल.(योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा,61वें दौर)

**शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी 2011), वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेख पर आधारित हैं एवं

***गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा का अनौपचारिक आकलन, 61वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.), गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय के असमानता की माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आंका जाता है, शून्य के नजदीक होने पर असमानता कम तथा एक के नजदीक होने पर असमानता अधिक होगी।

@ वर्ष 2003-04 के लिए वेतन एवं भत्ते के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिक निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग-2: आकस्मिक निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग-3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

पार्ट-सी: वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरण	रूपरेखा
विवरण सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पतियाँ होती हैं जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियों ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरण सं.2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरण सं.3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरण सं.4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरण सं.5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरण सं.6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष हैं और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरण सं.7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों(खंड एवं उधारकर्ता के गुप के अनुसार) जिसे विवरणी 1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरण सं.8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के गुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरण सं.9	सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरण सं.10	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरण सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं.12	लघु शीर्षों द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरण सं.13	वर्ष 2012-13 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरण सं.14	वर्ष 2012-13 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरण सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाईल को दर्शाता है।
विवरण सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2013 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं.17	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरण सं.18	आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2 पार्ट - ए
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम (परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी) एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्यअर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्यराजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चलों का उत्पादावकता को-एफिसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके। पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति (स.रा.घ.उ.)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87794	100621	125824(पी.)	140558(क्यू)	156781(ए)
स.रा.घ.उ. की विकास दर	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार

पी-औपबंधिक अनुमान, क्यू-तीव्र अनुमान, ए-अग्रिम अनुमान

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पादावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्पादावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष-ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति-घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज व्यय प्राप्ति

परिशिष्ट 1.2 पार्ट- बी
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम के संबंध में दूरदर्शिता सुनिश्चित करना है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2012 के रूप में संशोधित की गई।

- राजस्व घाटे के लिए लक्ष्य: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के अंत में शून्य
- राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य: स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत 2011-12 से 2014-15

(प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
शेष ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात	28.50	27.8	27.3	26.9
ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	25.00	25.00	25.00	
स.रा.घ.उ.वृद्धि (ते.वि.आ.)	14.14	14.50		
स.रा.घ.उ. वृद्धि (एम.टी.एफ.पी.)	14.00	14.00		
स्वयं के कर- स.रा.घ.उ. अनुपात	5.4	5.4		
गैर ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	2	2		
ब्याज भुगतान	10 वर्षों का बकाया दायित्व			
स.रा.घ.उ. में पूँजीगत परिव्यय की प्रतिशतता	3.15	3.5		

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 11 एवं 41)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	13213(84)	15118(82)	18781(88)	22420(89)	24770(83)
(i) कर राजस्व	3753(28)	4500(30)	5717(30)	6954(31)	8224(33)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2996(80)	3597(80)	4473(78)	5522(79)	6422(78)
राजस्व उत्पाद	205(6)	323(7)	388(7)	457(7)	578(7)
वाहनों पर कर	202(6)	234(5)	312(6)	392(6)	465(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	192(5)	238(5)	328(6)	401(6)	492(6)
भू-राजस्व	53(1)	41(1)	131(2)	53(1)	96(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	54(1)	13	21	41(0)	1(0)
अन्य कर	51(1)	54(2)	64(1)	88(1)	170(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1952(15)	2254(15)	2803(15)	3038(14)	3536(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	5392(41)	5547(37)	6154(33)	7170(32)	8188(33)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2116(16)	2817(18)	4107(22)	5258(23)	4822(20)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	19	22	24	24	43
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	13232	15140	18805	22444	24813
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2437(16)	3369(18)	2447(12)	2671(11)	5199(17)
आंतरिक ऋण(अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	2434	3379	2315	2409	4591
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	229	369
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3	-10	132	33	239
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	15669	18509	21252	25115	30012
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	8335	8242	7721	10813	14495
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	24004	26751	28973	35928	44507
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	12877(79)	15128(83)	17945(86)	20992(86)	23400(83)
योजना	3813(30)	3758(25)	6004(33)	7646(36)	7743(33)
गैर योजना	9064(70)	11370(75)	11941(67)	13346(64)	15657(67)
सामान्य सेवाएँ(ब्याज भुगतान सहित)	4924(38)	6605(44)	6991(39)	7846(37)	8696(37)
सामाजिक सेवाएँ	5385(42)	5610(37)	6707(37)	7287(35)	8309(36)
आर्थिक सेवाएँ	2533(20)	2913(19)	4247(24)	5859(28)	6395(27)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	35	-	-	-	शून्य

परिशिष्ट 1.3 क्रमशः ...

11. पूँजीगत व्यय	3051(19)	2703(15)	2664(13)	3159(13)	4218(15)
योजना	3015(99)	2682(99)	2621(98)	3111(98)	4151(98)
गैर योजना	36(1)	21(1)	43(2)	48(2)	67(2)
सामान्य सेवाएँ	176(6)	112(4)	120(4)	156(5)	176(4)
सामाजिक सेवाएँ	1355(44)	825(31)	682(26)	866(27)	1030(25)
आर्थिक सेवाएँ	1520(50)	1766(65)	1862(70)	2137(68)	3012(71)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	418(3)	320(2)	308(1)	217(1)	601(2)
13. कुल (10+11+12)	16346	18151	20917	24368	28219
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	863	1190	1299	1639	2183
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	716(83)	1068(90)	1063(82)	1406(86)	1525(70)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	9(1)	-	-	78(5)	520(24)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	138(16)	123(10)	236(18)	155(9)	138(6)
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	शून्य	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण(13+14+15)	17209	19341	22216	26007	30402
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	7185	7290	7400	9728	13417
19.राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	24394	26631	29616	35735	43819
भाग-ग. घाटा					
20.राजस्व घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य(+)(1-10)	(+)336	(-)10	(+)836	(+)1428	(+)1370
21.राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)3114	(-)3011	(-)2112	(-)1924	(-)3406
22.प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)(21-23)	(-)1227	(-)704	(+) 116	(+)343	(-)1015
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23.ब्याज भुगतान(राजस्व व्यय में सन्निहित)	1887	2307	2228	2267	2391
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2366	2333	3122	4530	1427
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट(दिन)	-	-	-	6	13
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	-	-	6	13
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	0.03	0.32
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	87794	100621	125824	140558	156781
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	24084	27165	28655	30664	34869
29. बकाया प्रतिभूतियाँ(वर्षके अंत में) (ब्याज सहित)	500	500	-	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या ('एक करोड़ तथा उससे अधिक)	247	262	167	182	189
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1797	1466	1503	573	1972
भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					

परिशिष्ट 1.3 क्रमशः ...

स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.3	4.5	4.5	4.9	5.2
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3
केंद्रीय अंतरण/ स.रा.घ.उ.	8.6	8.3	8.2	8.8	8.3
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	18.6	18.0	16.6	17.3	18.0
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	123.7	120.1	111.4	108.7	113.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.8	83.3	85.8	86.1	82.9
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	41.7	35.8	35.4	33.5	33.2
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	26.9	27.2	30.6	33.6	35.3
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	18.7	14.9	12.7	13.0	14.9
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.6	14.3	12.2	12.3	14.3
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) /स.रा.घ.उ.	0.4	0.0	0.7	1.0	0.9
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	-3.5	-3.0	-1.7	-1.4	-2.2
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-1.4	-0.7	*	*	-0.6
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-10.8	*	-39.6	-74.2	-40.2
प्राथमिक राजस्व संतुलन/ स.रा.घ.उ.	2.5	2.3	2.4	2.6	2.4
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/ स.रा.घ.उ.	27.4	27.0	22.8	21.8	22.2
राजकोषीय दायित्व/ रा.प्रा.	182.3	179.7	152.6	136.8	140.8
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(-)2018	(+)647	(+)4753	(+)1509	(+)285
ऋण निर्माचन (मूलधन+ब्याज)/ कुल ऋण प्राप्ति	5.4	3.1	4.3	3.9	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	0.4	1.17	15.00
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2625	2077	4014	6855	5782
वित्तीय परिसम्पत्ति / दायित्व	84	85	89	95	98

* राज्य में राजस्व आधिक्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।

@ स.रा.घ.उ. का अंक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

कोष्ठ में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से अनुपात (पूर्णांक) दर्शाता है।

परिशिष्ट 1.4 पार्ट- ए
वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

भाग-क: वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ			संवितरण						
2011-12			2012-13	2011-12		गैर योजना	योजना	कुल	2012-13
	अनुभाग क: राजस्व								
22419.45	I.राजस्व प्राप्तियाँ		24769.56	20991.58	I.राजस्व व्यय	15656.61	7743.26	23399.87	23399.87
6953.89	कर राजस्व	8223.67		7845.56	सामान्य सेवाएँ	8474.55	221.94	8696.49	
				7287.03	सामाजिक सेवाएँ	4238.37	4070.22	8308.59	
3038.22	कर भिन्न राजस्व	3535.63		4055.89	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2911.93	1499.35	4411.28	
				825.66	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	550.74	258.00	808.74	
7169.93	संघीय करों में राज्य के हिस्से	8188.05		468.72	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	282.19	359.87	642.06	
				47.66	सूचना एवं प्रसारण	34.39	11.88	46.27	
1550.77	गैर योजना अनुदान	1483.41		623.99	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	95.69	468.19	563.88	
2404.61	राज्य योजना हेतु अनुदान	2393.94		127.44	श्रम एवं श्रम कल्याण	43.44	106.99	150.43	
				1119.63	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	302.54	1365.94	1668.48	
1302.03	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	944.86		18.04	अन्य	17.45	-	17.45	
				5858.99	आर्थिक सेवाएँ	2943.69	3451.10	6394.79	
				980.60	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	381.41	611.03	992.44	
				1688.61	ग्रामीण विकास	691.43	1076.74	1768.17	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				282.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	281.29	0.11	281.40	
				859.83	उर्जा	1102.15	458.05	1560.20	
				211.16	उद्योग एवं खनिज	42.26	177.85	220.11	
				829.98	परिवहन	380.73	345.13	725.86	
					विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण				
				1006.73	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	64.42	782.19	846.61	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान				

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए क्रमशः ...

			20991.58	कुल	15656.61	7743.26	23399.87	23399.87
	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घटा		1427.87	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य			1369.79	1369.69
22419.45	कुल	24769.56	22419.45	कुल				24769.56
अनुभाग ख								
-0.41	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	116.85		III. रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		3159.37	IV. पूँजीगत परिव्यय	67.38	4151.05	4218.43	4218.43
			155.56	सामान्य सेवाएँ	67.38	108.53	175.91	
			866.31	सामाजिक सेवाएँ		1029.78	1029.78	
			75.98	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		90.76	90.76	
			163.53	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		146.84	146.84	
			422.61	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास		487.42	487.42	
				सूचना एवं प्रसारण				
			204.20	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		194.39	194.39	
अनुभाग ख अन्य (क्रमशः)								
				सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार		110.37	110.37	
				अन्य				
			2137.49	आर्थिक सेवाएँ		3012.74	3012.74	
			55.28	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		16.39	16.39	
			849.88	ग्रामीण विकास		886.85	886.85	
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
			399.31	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		591.08	591.08	
				उर्जा				
				उद्योग एवं खनिज		1.00	1.00	
			799.85	परिवहन		1503.45	1503.45	
			33.18	सामान्य आर्थिक सेवाएँ		13.97	13.97	
			3159.37	कुल	67.38	4151.05	4218.43	
23.42	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	43.11	217.10	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	57.11	543.70	600.81	600.81
	विद्युत परियोजना से		164.95	विद्युत परियोजना को	-	541.70	541.70	

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए क्रमशः ...

21.83	सरकारी सेवकों से	22.07		18.11	सरकारी सेवकों को	18.74	-	18.74	
1.59	अन्य से	21.04		34.04	अन्य को	38.37	2.00	40.37	
1427.87	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1369.69		VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				
2671.23	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		5199.00	1639.01	VII. लोक ऋण पुर्नभुगतान			2183.06	2183.06
	बाह्य ऋण	-	-		बाह्य ऋण				
2409.51	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	4591.56		1406.36	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1524.50	
229.19	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	368.79		77.94	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन			520.04	
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-							
32.53	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	238.65		154.71	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुर्नभुगतान			138.52	
	VIII आकस्मिक निधि विनियोग				VIII आकस्मिक निधि विनियोग				
	IX आकस्मिक निधि विनियोग				IX आकस्मिक निधि विनियोग				
10813.40	X लोक लेखा प्राप्ति		14494.71	9727.77	X लोक लेखा संवितरण			13416.31	13416.31
613.38	लघु बचत एवं भविष्य निधि	667.69		543.74	लघु बचत एवं भविष्य निधि			645.53	
138.58	रक्षित निधि	279.80		243.71	रक्षित निधि			403.23	
305.76	उचन्त एवं विविध	199.00		231.63	उचन्त एवं विविध			167.60	
4520.03	प्रेषण	4642.57		4502.89	प्रेषण			4784.27	
5235.65	जमा एवं अग्रिम	8705.65		4205.80	जमा एवं अग्रिम			7415.68	
	अन्तर्राज्यीय समायोजन			75.40	अन्तर्राज्यीय समायोजन			100.00	100.00
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			116.85	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			704.75	704.75
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				93.85	रिजर्व बैंक में जमा			-56.50	
				18.59	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			14.68	
					चिन्हित निधि का निवेश				
				4.41	रोकड़ का निवेश			746.57	
37354.96	कुल		45992.92	37354.96	कुल				45992.92

परिशिष्ट 1.4 पार्ट- बी
31 मार्च 2013 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

31.03.12 को	दायित्व		31.03.13 को
22285.78	आन्तरिक ऋण		25201.59
8630.39	ब्याज वाले बाजार ऋण	11775.40	
0.17	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.18	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3513.94	अन्य संस्थाओं से ऋण	3635.54	
151.25	अर्थोपाय अग्रिम	शून्य	
9983.73	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9784.16	
शून्य	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	शून्य	
2024.41	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2124.55
शून्य	1984-85 के पूर्व के ऋण	शून्य	
8.79	गैर योजना ऋण	6.38	
2015.62	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2118.17	
	केन्द्र योजनागत हेतु ऋण	शून्य	
	केन्द्र प्रायोजित हेतु ऋण	शून्य	
	अन्य अर्थोपाय अग्रिम	शून्य	
शून्य	अन्तर्राज्यीय समायोजन	शून्य	
150.00	आकस्मिक निधि		150.00
1527.70	लघु बचत भविष्य निधि		1549.86
4382.78	जमा		5673.32
443.10	रक्षित निधि		319.67
	अंतरण शेष	शून्य	
78.47	उचंत एवं विविध शेष		109.87
30892.24	कुल		35128.85
	सम्पत्ति		
21530.92	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		25749.35
101.86	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	107.11	
21429.06	अन्य पूँजीगत परिव्यय	25642.24	
75.40	अन्तर्राज्यीय समायोजन		100.00
7190.15	ऋण एवं अग्रिम		7747.85
6583.51	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	7125.21	
612.17	अन्य विकास ऋण	631.50	
-5.53	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-8.86	
12.14	अग्रिम		12.72
शून्य	उचंत एवं विविध शेष	शून्य	
116.85	नगद		704.75
-	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	शून्य	

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-बी क्रमशः ...

93.85	रिजर्व बैंक में जमा	-56.50	
	जमा निधि का निवेश	शून्य	
18.59	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	14.68	
4.41	नगद शेष निवेश	746.57	
270.17	प्रेषण शेष		411.86
1696.61	सरकारी लेखे में घाटा		402.32
1427.87	(i) वर्ष के दौरान राजस्व अधिक्त्य/घाटा	1369.69	
	(ii) विविध घाटा		
3124.48	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/अधिक्त्य	1772.01	
30892.24	कुल		35128.85

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरित रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्ति योग्य मर्दे या भण्डार आँकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। लेखे में प्रतिविम्बित आँकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत सूचित आँकड़े जो 31 मार्च 2013 को समाशोधन की प्रक्रिया में था, के बीच ₹ 56.13 लाख (निवल क्रेडिट) का अंतर था। अंतर अभी भी समाशोधन के अंतर्गत है।

परिशिष्ट 1.5

13वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे
(संदर्भ: कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 17)

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
22 गृह विभाग	2055-00-796-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	11.00	11.00	शून्य
	2055-00-800-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	63.50	63.50	शून्य
	उप योग		74.50	74.50	शून्य
25 संस्थानिक वित्त एवं योजना कार्यान्वयन विभाग	2203-00-001-61	विशिष्ट पहचान योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नियोजन सुविधा	11.64	शून्य	(-)11.64
	2203-00-796-61	विशिष्ट पहचान योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नियोजन सुविधा	11.64	शून्य	(-)11.64
	उप योग		23.28	शून्य	(-)23.28
26 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-003-43	20 आई.आई.टी. का निर्माण	30.00	30.00	शून्य
	2230-03-796-43	20 आई.आई.टी. का निर्माण	20.00	17.25	(-) 2.75
	उप योग		50.00	47.25	(-) 2.75
27 विधि विभाग	2014-00-105-04	जिला न्यायधीश की सहायता हेतु न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति	4.39	0.78	(-) 03.61
	2014-00-105-05	प्रातः/सायं न्यायालय का गठन	16.52	शून्य	(-) 16.52
	2014-00-105-06	न्यायालय भवन स्मारक	2.98	शून्य	(-) 2.98
	2014-00-114-08	आरबिट्रेटर का प्रशिक्षण	5.98	0.13	(-)5.85
	2014-00-114-09	न्यायिक अकादमी को आधारभूत संरचना	5.97	2.97	(-)3.00
	2014-00-114-10	न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण	2.64	1.08	(-)1.56
	2014-00-114-11	वृहत लोक अदालत एवं विधि सहायता	1.99	शून्य	(-) 1.99
	उप योग		40.47	4.96	(-)35.51
28 झारखण्ड उच्च न्यायालय	2014-00-102-02	माननीय उच्च न्यायालय के सहायतार्थ नियुक्त न्यायालय प्रबंधक	0.40	0.09	(-) 0.31
35 योजना एवं विकास विभाग	2053-00-094-02	जिला नवीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान	2.00	शून्य	(-)2.00
	2053-00-796-19	जिला नवीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान	2.80	शून्य	(-)2.80
	3454-02-205-02	राज्य सांख्यिकीय तंत्र के लिए अनुदान	4.80	शून्य	(-)4.80
	उप योग		9.60	शून्य	(-)9.60

परिशिष्ट 1.5 क्रमशः ...

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-05-101-05	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को केन्द्रीय सहायता	214.53	209.43	(-)5.10
	2245-05-101-06	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को राज्य द्वारा सहायता	71.51	69.81	(-)1.70
	2245-80-101-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	2.00	शून्य	(-)2.00
	2245-80-789-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	0.50	शून्य	(-)0.50
	2245-80-796-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	2.50	शून्य	(-)2.50
	उप योग			291.04	279.24
42ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-796-21	ब्लाक स्तर पर भवन निर्माण	37.13	37.13	शून्य
48 शहरी विकास विभाग	2217-80-191-29	नगर निगम को अनुदान	12.00	7.02	(-)9.98
	2217-80-191-30	नगर निगम को अनुदान	10.00	शून्य	(-)10.00
	2217-80-192-08	नगर निकाय को अनुदान	22.74	15.08	(-)7.66
	2217-80-192-09	नगर निकाय को अनुदान	14.86	3.05	(-)11.81
	2217-80-193-08	नगर पंचायत को अनुदान	19.00	8.33	(-)10.67
	2217-80-193-09	नगर पंचायत को अनुदान	12.00	शून्य	(-)12.00
	उप योग			90.60	33.48
49 जल संसाधन विभाग	2701-03-001-08	वृहत् सिंचाई योजना को मदद	24.67	शून्य	(-)24.67
50 लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-05	लघु सिंचाई योजना को मदद	2.33	शून्य	(-)2.33
52 कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	2205-00-106-01	13वें वित्त आयोग (पुरातत्व सर्वेक्षण)	9.00	9.00	शून्य
55 ग्रामीण कार्य विभाग	3054-04-105-01	ग्रामीण सड़कों एवं भवनों का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव	27.00	20.08	(-)6.92
	3054-04-105-02	ग्रामीण सड़कों एवं भवनों का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव	52.00	52.00	शून्य
	उप योग			79.00	72.08
56 पंचायती राज	2515-00-196-01	जिला परिषद् को आधारभूत अनुदान	38.28	38.55	(+)0.27
	2515-00-196-02	जिलापरिषद को विशेष क्षेत्र अनुदान	7.00	7.12	(+)0.12
	2515-00-196-03	जिला परिषद को निष्पादन अनुदान	26.26	25.29	(-)0.97
	2515-00-197-01	प्रखंड पंचायत को आधारभूत अनुदान	38.28	40.41	(+)2.13

परिशिष्ट 1.5 क्रमशः ...

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
56 पंचायती राज	2515-00-197-02	प्रखंड पंचायत को विशेष क्षेत्र अनुदान	7.00	6.84	(-)0.16
	2515-00-197-03	प्रखंड पंचायत को निष्पादन अनुदान	26.26	26.54	(+)0.28
	2515-00-198-01	ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	114.84	118.85	(+)4.01
	2515-00-198-02	ग्राम पंचायत को विशेष क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	21.00	20.52	(-)0.48
	2515-00-198-03	ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	78.78	77.84	(-)0.94
	उप योग			357.70	361.96
59 प्राथमिक व लोक शिक्षा	2202-01-111-33	सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	136.84	136.84	शून्य
	2202-01-789-33	सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	46.76	46.76	शून्य
	2202-01-796-33	सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	124.40	124.40	शून्य
	उप योग			308.00	308.00
60 सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	4235-02-103-59	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	54.00	54.12	(+) 0.12
	4235-02-796-59	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	54.00	53.89	(-)0.11
	उप योग			108.00	108.01
कुल			1505.72	1335.70	(-)170.02

परिशिष्ट 1.6

**74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.6; पृष्ठ 29)**

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी. वातावरण का संरक्षण और परिस्थितीकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.7

बाजार ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज उत्तरदायित्व

(संदर्भ: कंडिका 1.12.6; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण का विवरण- झारखण्ड सरकार स्टॉक	कब उगाही किया गया	राशि	अवधि जब ब्याज देय है	उपार्जित ब्याज	रोकड़ शेष निवेश लेखे से प्राप्त ब्याज@ 5%	अन्तर
1.	7.54% 2019	17.04.2009	517.45	17.04.09 से 31.03.10	37.26	24.71	12.55
2.	8.01% 2019	05.08.2009	474.40	05.08.09 से 31.03.10	24.98	15.59	9.39
3.	8.37% 2019	09.09.2009	599.80	09.09.09 से 31.03.10	28.13	16.81	11.32
4.	8.19% 2019	30.10.2009	252.24	30.10.09 से 31.03.10	8.72	5.32	3.40
5.	8.28% 2020	12.05.2010	500.00	12.05.10 से 31.03.11	36.75	22.19	14.56
		कुल	2343.89		135.84	84.62	51.22

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दैनिक रोकड़ शेष

परिशिष्ट 1.8

अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण

(संदर्भ: कंडिका 1.12.7; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बाजार उधार	पहली तिमाही		दूसरी तिमाही		तीसरी तिमाही		चौथी तिमाही	
		सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक
2008-09	1486.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	195.45	शून्य	1290.55
2009-10	1843.98	शून्य	517.45	शून्य	1074.29	शून्य	252.24	शून्य	शून्य
2010-11	500.00	शून्य	500.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2011-12	1254.05	शून्य	शून्य	शून्य	500.00	शून्य	500.00	शून्य	254.05
2012-13	3600.00	200.00	200.00	1000.00	300.00	1000.00	500.00	1165.47	2600.00
कुल	8684.03								

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		राजस्व			
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	710.74	264.25	37
2	2	पशुपालन विभाग	160.71	35.50	22
3	8	नागर विमानन विभाग	100.58	60.12	60
4	9	सहकारिता विभाग	77.65	21.73	28
5	17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	71.02	27.17	38
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1101.10	307.90	28
7	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1125.53	326.13	29
8	23	उद्योग विभाग	287.73	82.94	29
9	24	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	58.40	12.89	22
10	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	913.15	232.43	25
11	27	विधि विभाग	222.12	52.33	24
12	35	योजना एवं विकास विभाग	679.24	594.38	88
13	39	आपदा प्रबंधन विभाग	444.36	159.06	36
14	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	338.47	77.18	23
15	42	ग्रामीण विकास विभाग	832.84	317.32	38
16	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	92.08	37.03	40
17	45	सूचना प्रावैधिकी विभाग	62.20	42.16	68
18	47	परिवहन विभाग	449.99	116.55	26
19	48	शहरी विकास विभाग	581.90	177.09	30
20	49	जल संसाधन विभाग	317.55	92.55	29
21	50	लघु सिंचाई विभाग	77.14	16.24	21
22	51	कल्याण विभाग	816.49	250.26	31
23	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग	75.97	27.47	36
24	53	मत्स्य	61.20	18.39	30
25	54	डेयरी	95.42	27.00	28
26	58	माध्यमिक शिक्षा	725.48	238.38	33
27	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	4656.04	1493.28	32
28	60	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	1114.29	302.08	27

परिशिष्ट 2.1 क्रमशः ...

		पूँजीगत			
29	9	सहकारिता विभाग	18.80	16.05	85
30	10	उर्जा विभाग	794.00	252.30	32
31	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	407.35	260.52	64
32	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	122.49	30.95	25
33	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	65.73	30.49	46
34	47	परिवहन विभाग	54.05	49.51	92
35	48	नगर विकास विभाग	689.91	490.99	71
36	49	जल संसाधन विभाग	1655.71	1232.85	74
37	50	लघु सिंचाई विभाग	362.19	167.28	46
38	51	कल्याण विभाग	132.01	29.17	22
		कुल	20551.63	7969.92	39

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2012-13 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1	1.कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-796-56	119.00	28.16	कारण नहीं बताये गये हैं ।
2	3. भवन निर्माण विभाग	4059-00-796-53	56.70	50.08	32 लाख का कारण तकनीकी मंजूरी एवं योजना के मंजूरी में प्रक्रियात्मक विलम्ब को बताया गया।
3	18- खाद्य, सार्वजनिक	3456-00-102-13	235.83	84.47	केन्द्र सरकार से आवंटन अप्राप्त।
4	वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-13	335.36	88.51	केन्द्र सरकार से अनाजों के लिए आवंटन अप्राप्त।
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2211-00-001-03	79.51	69.29	केन्द्र सरकार से निधि की कम मंजूरी ।
6	शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2211-00-101-01	193.64	141.55	निधि की मंजूरी ।
7	विभाग	4210-02-796-48	60.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
8	22-गृह विभाग	2055-00-104-04	103.66	29.43	पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण ।
9		2055-00-110-01	173.70	46.53	कारण नहीं बताये गये हैं ।
10	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-789-03	80.63	27.49	कारण नहीं बताये गये हैं ।
11		2235-03-796-03	212.19	41.87	कारण नहीं बताये गये हैं ।
12	35- योजना एवं विकास विभाग	2235-02-102-01	143.87	118.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
13		2235-02-796-01	144.00	118.35	कारण नहीं बताये गये हैं ।
14		2053-00-796-11	35.00	35.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
15		2053-00-796-24	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
16		2053-00-796-25	100.00	100.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
17		2053-00-800-11	45.95	45.95	कारण नहीं बताये गये हैं ।
18		3454-02-204-14	21.56	21.56	कारण नहीं बताये गये हैं ।
19	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-02	48.05	20.99	कारण नहीं बताये गये हैं ।
20	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-01	162.95	24.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
21	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-01	452.14	61.06	कारण नहीं बताये गये हैं ।
22		5054-03-796-01	700.00	84.82	कारण नहीं बताये गये हैं ।
23		5054-03-796-08	220.00	68.06	कारण नहीं बताये गये हैं ।
24		5054-03-796-03	105.00	74.34	कारण नहीं बताये गये हैं ।
25	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-800-01	35.78	28.26	कारण नहीं बताये गये हैं ।
26		2501-06-800-05	36.26	36.26	कारण नहीं बताये गये हैं ।
27		2505-01-702-02	73.50	35.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।

परिशिष्ट 2.2 क्रमशः ...

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेख के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
28	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-03	40.00	40.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
29		3075-60-796-03	60.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
30	48- नगर विकास विभाग	2215-02-191-11	25.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
31		2215-02-796-09	35.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
32		4217-60-191-28	178.00	115.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
33		4217-60-191-29	40.00	34.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
34		4217-60-191-30	103.00	99.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		4217-60-796-42	40.00	36.78	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		4217-60-796-43	40.00	28.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
37		49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	125.85	22.23
38	2701-03-001-08		24.67	24.67	कारण नहीं बताये गये हैं।
39	4700-80-789-09		48.78	26.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
40	4700-80-796-10		600.00	424.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
41	4701-80-796-73		100.16	97.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
42	4700-80-789-10		467.12	467.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
43	4700-80-796-11		168.00	107.77	कारण नहीं बताये गये हैं।
44	50- लघु सिंचाई विभाग	4702-00-101-33	100.29	57.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		4702-00-796-30	160.00	49.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
46	51-कल्याण विभाग	2225-02-796-73	31.25	31.25	केन्द्र सरकार से आबंटन की अप्राप्ति।
47		2225-02-796-04	71.32	64.41	केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का अविमोचन।
48	55-ग्रामीण कार्य विभाग	4515-00-796-04	209.42	28.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
49		4515-00-103-04	183.25	44.02	कारण नहीं बताये गये हैं।
50	56-पंचायती राज एवं एन.	2515-00-001-03	107.81	28.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
51	आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-15	150.00	64.19	कुल जिलों को निधियों की पहली खेप/किस्त की एवं सभी जिलों को दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
52		2515-00-789-15	60.31	37.57	कुल जिलों को निधियों की पहली खेप/किस्त की एवं सभी जिलों को दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
53		2517-00-796-15	156.00	119.35	कुल जिलों को निधियों की पहली खेप/किस्त की एवं सभी जिलों को दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
54	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	399.31	124.98	कारण नहीं बताये गये हैं।
55		2202-02-109-35	28.05	28.05	केन्द्र सरकार का केन्द्रांश अप्राप्त।
56	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2554.29	886.58	निधियों के अधिक प्रावधान एवं शेष सूचित नहीं की गई।
57		2202-01-101-03	183.80	127.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
58		2202-01-101-05	48.00	21.73	केन्द्रीय अंशदान की कम प्राप्ति एवं अंतिम बचत सूचित नहीं की गयी।

परिशिष्ट 2.2 क्रमशः ...

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
59	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-104-01	56.36	21.93	निधियों के अधिक प्रावधान एवं अंतिम बचत नहीं की गयी।
60		2202-01-111-02	202.85	70.86	केन्द्रांश अप्राप्त ।
61		2202-01-789-25	73.80	25.78	केन्द्रांश अप्राप्त ।
62		2202-01-796-04	172.90	117.07	कारण नहीं बताये गये हैं ।
63		2202-01-796-25	184.40	64.41	केन्द्रांश अप्राप्त ।
64	60- समाज कल्याण	2235-02-102-51	159.48	36.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
65	महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-796-51	172.76	30.17	कोषागार से निधि का अनाहरण एवं अंतिम बचत सूचित नहीं की गयी है।
66		2235-02-796-71	30.87	30.80	कोषागार से निधि का अनाहरण एवं निधि का अधिक प्रावधान ।
67		2236-02-101-02	80.64	23.49	कोषागार से निधि का अनाहरण एवं अंतिम बचत सूचित नहीं की गयी है।
68		2235-02-103-70	26.37	26.37	कोषागार से निधि का अनाहरण ।
कुल			11723.39	5386.36	

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 67)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	10	उर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	10	उर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	आपदा प्रबंधन विभाग	61.33
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49
2004-05	39	आपदा प्रबंधन विभाग	69.34
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2005-06	10	उर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	^
कुल			8540.79

स्रोत: विनियोग लेख संगत वर्षों के :

* अतिरिक्त राशि केवल ₹ 8,807 थी।

@ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 1,072 थी।

अतिरिक्त राशि केवल ₹ 49,670 थी।

\$ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट 2.4

**मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 68)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (भारित)					
1	13-ब्याज संदाय	243458.02	239124.92	4333.10	1400.00
2	34-झारखण्ड लोक सेवा आयोग	665.63	462.28	203.35	35.00
	कुल राजस्व भारित	244123.65	239587.20	4536.45	1435.00
राजस्व (दत्तमत)					
3	1-कृषि गन्ना विकास विभाग	60429.17	44648.20	15780.97	10644.34
4	2-पशुपालन विभाग	14648.77	12521.42	2127.35	1422.21
5	3-भवन निर्माण विभाग	8619.98	8195.11	424.87	137.63
6	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2616.98	2363.27	253.71	654.63
7	6-निर्वाचन	2890.33	2794.41	95.92	100.98
8	9-सहकारिता विभाग	7735.76	5592.19	2143.57	29.37
9	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	6974.49	4385.49	2589.00	128.00
10	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	89064.69	79320.57	9744.12	21045.44
11	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	29131.34	26828.21	2303.13	2514.16
12	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	110586.97	79939.73	30647.24	1965.62
13	22-गृह विभाग	248723.87	237490.11	11233.76	1982.18
14	23- उद्योग विभाग	24413.03	20479.34	3933.69	4360.14
15	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	4939.75	4550.71	389.04	900.00
16	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	86052.85	68071.56	17981.29	5262.17
17	27- विधि विभाग	21209.86	16978.40	4231.46	1001.64
18	28- झारखण्ड का उच्च न्यायालय	4206.54	3618.36	588.18	235.30
19	32- विधान मंडल	4892.47	4292.10	600.37	54.23
20	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1513.13	1318.69	194.44	187.10
21	35-योजना एवं विकास विभाग	67905.25	8486.25	59419.00	18.80
22	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	20230.69	19966.01	264.68	248.20
23	37-राजभाषा विभाग	1453.31	1417.29	36.02	21.96
24	38-निबंधन विभाग	1757.46	1132.29	625.17	172.75
25	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	33708.26	26129.34	7578.92	138.63
26	41-पथ निर्माण विभाग	30426.80	28734.23	1692.57	1693.49
27	42-ग्रामीण विकास विभाग	77095.49	51551.49	25544.00	6188.32
28	43-विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग	8418.99	5505.30	2913.69	789.46

परिशिष्ट 2.4 क्रमशः ...

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
29	44-मानव संसाधन विकास विभाग	3228.06	3172.94	55.12	16.00
30	48-नगर विकास विभाग	57514.88	40480.58	17034.30	675.07
31	49- जल संसाधन विभाग	31639.96	22500.14	9139.82	115.43
32	50- लघु सिंचाई विभाग	7693.88	6089.76	1604.12	20.23
33	51- कल्याण विभाग	76594.08	56623.03	19971.05	5054.69
34	52- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	7354.86	4849.99	2504.87	242.37
35	54- डेयरी	8387.15	6842.81	1544.34	1155.31
36	56- पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल)	150589.24	124804.70	25784.54	420.86
37	58-माध्यमिक शिक्षा	70293.68	48710.42	21583.26	2254.75
38	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	459264.54	316276.07	142988.47	6339.70
39	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	111228.52	81221.68	30006.84	200.91
कुल राजस्व (दत्तमत)		1953435.08	1477882.19	475552.89	78392.07
कुल राजस्व		2197558.73	1717469.39	480089.34	79827.07
पूँजीगत (दत्तमत)					
1	10-उर्जा विभाग	65300.00	54169.82	11130.18	14100.00
2	20- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	35255.58	14683.63	20571.95	5479.70
3	22-गृह विभाग	13945.00	11402.46	2542.54	24.00
4	30-अल्पसंख्यक कल्याण	9976.11	9154.44	821.67	2273.15
5	41-पथ निर्माण विभाग	163944.95	149890.38	14054.57	3400.00
6	47-परिवहन विभाग	5208.00	454.23	4753.77	197.00
7	49-जल संसाधन विभाग	163271.00	42286.47	120984.53	2300.00
8	50-लघु सिंचाई विभाग	35609.00	19491.35	16117.65	610.00
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		492509.64	301532.78	190976.86	28383.85
सकल योग		2690068.37	2019002.17	671066.20	108210.92

परिशिष्ट 2.5

निधि का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 68)

(₹ लाख में)

क्र सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/अधिक्य (+)
1	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-50	650.00	--	(-)1042.57
2		4059-01-796-54	1250.00	--	(-)818.55
3		4216-01-796-10	120.00	--	(-)395.35
4	27-विधि विभाग	2052-00-090-18	5.00	--	(-)4.32
5	32-विधान मंडल	2011-02-103-01	2.05	--	(-)1.27
6	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-102-08	1.30	--	(-)14.51
7		3451-00-090-10	1.00	--	(-)6.01
8	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-001-01	0.70	--	(-)11.23
	कुल		2030.05	--	(-)2293.81
9	2-पशुपालन विभाग	2403-00-001-04	--	17.00	(+)14.65
10	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-01	--	2.00	(+)1.63
11		4059-01-051-52	--	120.00	(+)86.40
12	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-101-02	--	1.00	(+)1.06
13	27-विधि विभाग	2014-00-105-01	--	5.00	(+)105.51
14	23-उद्योग विभाग	2850-80-102-04	--	2.21	(+)19.46
	कुल		--	147.21	(+)228.71
15	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-05	490.00	--	(+)81.61
16		2235-03-796-05	1100.00	--	(+)34.40
17	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-04	87.00	--	(+)25.44
18	45- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-796-71	15.00	--	(+)8.11
	कुल		1692.00	--	(+)149.56

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
	राजस्व			
1	1- कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	264.25	249.77	14.48
2	2- पशुपालन विभाग	35.50	34.47	1.03
3	12-वित्त विभाग	10.63	9.53	1.10
4	13-ब्याज संदाय	57.33	30.65	26.68
5	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	27.17	25.68	1.49
6	18- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	307.90	267.18	40.72
7	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	48.17	45.53	2.64
8	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	326.13	304.01	22.12
9	23-उद्योग विभाग	82.94	81.39	1.55
10	35-योजना एवं विकास विभाग	594.38	593.05	1.33
11	38-निबंधन विभाग	7.98	5.26	2.72
12	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	77.18	72.88	4.30
13	41-पथ निर्माण विभाग	33.86	16.63	17.23
14	42-ग्रामीण विकास विभाग	317.32	266.65	50.67
15	47-परिवहन विभाग	116.55	110.05	6.5
16	48-नगर विकास विभाग	177.09	165.11	11.98
17	49-जल संसाधन विभाग	92.55	75.40	17.15
18	50-लघु सिंचाई विभाग	16.24	10.16	6.08
19	51-कल्याण विभाग	250.26	177.10	73.16
20	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	27.47	19.51	7.96
21	55- ग्रामीण कार्य विभाग	32.93	31.29	1.64
22	56- पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी . (विशेष प्रमंडल) विभाग	262.05	255.30	6.75
23	58-माध्यमिक शिक्षा	238.38	102.32	136.06
24	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	1493.28	772.67	720.61
25	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	302.08	237.28	64.80

परिशिष्ट 2.6 क्रमशः ...

	पूँजीगत			
1	3-भवन निर्माण विभाग	114.97	84.03	30.94
2	30-अल्पसंख्यक कल्याण	30.95	26.65	4.30
3	41-पथ निर्माण विभाग	174.55	157.42	17.13
4	47-परिवहन विभाग	49.51	47.78	1.73
5	48-नगर विकास विभाग	490.99	374.04	116.95
6	49-जल संसाधन विभाग	1232.85	1189.15	43.70
7	50-लघु सिंचाई विभाग	167.28	155.81	11.47
8	51-कल्याण विभाग	29.17	25.00	4.17
9	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2.39	1.02	1.37
10	55-ग्रामीण कार्य विभाग	79.23	57.43	21.80
11	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	9.96	7.50	2.46
	कुल	7581.47	6084.70	1496.77

परिशिष्ट 2.7

30 और 31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1	1- कृषि एवं गन्ना विभाग	2401-00-109-28	20.63
2		2401-00-796-28	27.54
3		2401-00-796-19	22.50
4		2401-00-800-53	12.67
5		2401-00-796-56	15.68
6		2401-80-796-15	10.46
7	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-51	19.36
8		4059-01-796-53	34.10
9	8- नागर विमानन विभाग	3053-80-003-02	10.00
10		3053-80-003-02	50.00
11	10- उर्जा विभाग	2801-01-800-02	16.40
12		2801-80-800-09	11.00
13		6801-00-800-05	108.00
14	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-11	12.93
15	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-105-01	31.45
16		6003-00-109-01	38.51
17	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-001-05	18.54
18	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-13	33.63
19		3456-00-789-13	15.32
20		3456-00-796-02	10.75
21		3456-00-796-13	43.22
22	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2211-00-001-03	69.37
23		4210-02-103-08	15.89
24		4210-02-103-09	12.68
25		4210-02-103-10	11.48
26		4210-02-796-29	16.13
27		4210-02-796-38	10.77
28		4210-02-796-39	10.90
29		4210-02-796-40	16.33
30		4210-02-796-41	22.63
31		4210-02-796-48	60.00

परिशिष्ट 2.7 क्रमशः ...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
32	21-उच्च शिक्षा	2202-03-102-15	13.09
33		2202-03-102-22	10.50
34		2202-03-796-34	10.50
35	22-गृह विभाग	2055-00-104-02	14.25
36		2055-00-109-01	12.90
37		2055-00-110-01	45.39
38		2055-00-115-67	16.11
39		4055-00-207-45	11.98
40	23- उद्योग विभाग	2851-00-103-24	10.00
41	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-003-44	11.55
42		2230-03-101-02	11.13
43	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-796-44	11.55
44		2235-03-101-03	20.07
45		2235-03-789-03	26.31
46		2235-03-796-03	23.97
47	27- विधि विभाग	2014-00-105-01	11.34
48		2014-00-105-05	16.52
49	35- योजना एवं विकास विभाग	2053-00-796-11	35.00
50		2053-00-796-25	100.00
51		2053-00-796-27	48.60
52		2053-00-796-28	10.00
53		2053-00-800-11	45.95
54		2235-02-102-01	118.00
55		2235-02-796-01	117.41
56		3454-02-204-14	21.56
57	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	13.67
58		4215-01-796-02	20.39
59	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-01	16.20
60		2029-00-104-01	22.62
61	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-01	13.22
62		5054-03-796-01	21.69
63		5054-03-796-03	83.26
64	42- ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-05	11.92
65		2501-06-800-01	10.98
66		2505-01-702-02	36.04
67		2505-01-796-02	10.57

परिशिष्ट 2.7 क्रमशः ...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
68	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-004-05	11.10
69		2203-00-800-66	11.10
70		4202-02-105-06	30.35
71	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-03	40.00
72		3075-60-796-03	60.00
73	48- नगर विकास विभाग	2215-01-191-01	13.26
74		2215-02-191-11	20.00
75		2215-02-796-09	30.00
76		2217-80-191-30	10.00
77		2217-80-191-39	10.98
78		2217-80-192-09	11.80
79		2217-80-193-08	10.67
80		2217-80-193-09	12.00
81		2217-80-796-23	12.60
82		4217-60-191-26	12.60
83		4217-60-191-28	115.22
84	48- नगर विकास विभाग	4217-60-191-29	31.15
85		4217-60-191-30	99.91
86		4217-60-789-37	13.00
87		4217-60-796-42	36.66
88		4217-60-796-43	28.40
89	49- जल संसाधन विभाग	2701-03-001-06	14.61
90		2701-03-001-07	10.80
91		2701-03-001-08	24.67
92		4700-80-789-09	13.71
93		4700-80-789-10	408.12
94		4700-80-796-09	12.24
95		4700-80-796-10	403.87
96		4700-80-796-11	108.12
97	4701-80-796-73	64.73	
98	50- लघु सिंचाई विभाग	4702-00-101-07	18.00
99		4702-00-101-33	42.00
100		4702-00-796-30	46.37
101	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2515-00-001-28	14.16
102		4515-00-103-04	46.52

परिशिष्ट 2.7 क्रमशः ...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
103	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष मंडल) विभाग	2515-00-001-03	27.23
104		2515-00-001-15	64.19
105		2515-00-789-15	37.57
106		2515-00-796-15	119.35
107	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-35	16.05
108		2202-02-109-36	11.20
109	59- प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	144.93
110		2202-01-101-05	17.68
111		2202-01-104-01	14.66
112		2202-01-111-02	70.86
113		2202-01-112-04	17.18
114		2202-01-789-25	25.78
115		2202-01-796-04	16.90
116		2202-01-796-25	64.41
117	60- समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	28.14
118		2235-02-103-70	26.37
119		2235-02-796-51	20.87
120		2235-02-796-71	30.51
121		2236-02-101-02	13.13
122		2236-02-796-05	10.11
123		2236-02-796-05	10.56
कुल अनुदान			4479.51

परिशिष्ट 2.8
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2013 के दौरान किया गया खर्च	मार्च 2013 में किया गया खर्च	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी - मार्च 2013	मार्च 2013
1	कल्याण विभाग	4235	110.37	109.19	110.37	100.00	98.93
2	परिवहन विभाग	3075	297.59	297.59	297.59	100.00	100.00
3	उर्जा विभाग	2810	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	नागर विमानन विभाग	3053	40.06	40.01	40.26	99.50	99.37
5	कल्याण विभाग	4225	184.11	106.42	194.39	94.71	54.75
6	मानव संसाधन विभाग	2205	24.46	23.95	26.61	91.92	90.00
7	नगर विकास विभाग	4217	150.87	147.96	182.43	82.70	81.11
8	उद्योग विभाग	2852	87.58	56.44	111.97	78.22	50.41
9	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	109.66	99.62	150.43	72.90	66.22
10	कल्याण विभाग	2225	410.52	286.60	563.88	72.80	50.83
11	नगर विकास विभाग	2217	177.23	132.45	251.63	70.43	52.64
12	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	98.59	82.34	146.84	67.14	56.07
13	मतस्य विभाग	2405	28.66	22.85	42.81	66.95	53.38
14	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2402	31.19	26.99	46.67	66.83	57.83
15		2401	200.54	168.43	306.09	65.52	55.03
16	गृह विभाग	2216	25.78	21.45	41.08	62.76	52.22
17	सूचना प्रावैधिकी विभाग	2203	41.16	34.44	67.85	60.66	50.76
18	उद्योग विभाग	2851	54.18	48.62	90.50	59.87	53.72
19	डेयरी विभाग	2404	40.81	28.96	68.43	59.64	42.32

परिशिष्ट 2.9

**नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान असंशोधित रह गई
(प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)
(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 70)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग	19.46
2	सचिव, प्रशासनिक, वित्त विभाग	10.38
3	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग भाग-4 ग्रामीण पुलिस	2214.15
4	वित्त आयुक्त	2931.19
5	सचिव, ऊर्जा विभाग	524.43
6	उद्योग निदेशक, खनिज एवं उद्योग विभाग	191.10
7	सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक एवं सुधार बोर्ड	10.71
8	पुलिस महानिरीक्षक (कारागार), गृह विभाग	78.92
9	अवर सचिव, भवन निर्माण एवं भवन लोक निर्माण विभाग	36.75
10	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा उप सचिव, उच्च शिक्षा	4396.02
11	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	22.10
12	सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं कल्याण विभाग	862.99
13	महानिदेशक, सुचना एवं प्रचार विभाग	43.53
14	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	193.72
15	सचिव, कल्याण विभाग	1008.01
16	सचिव, शहरी विकास विभाग	440.19
17	सचिव, कल्याण विभाग सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	755.19
18	श्रम आयुक्त निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	143.78
19	निदेशालय, मिट्टी एवं जल संरक्षण	46.37
20	सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	287.72
21	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	222.75
22	निदेशक, पंचायती राज विभाग	2314.76
23	सचिव, परिवहन एवं नागर उड्डयन-सह-राज्य आयुक्त	297.59
	कुल	17051.81

स्रोत: महालेखाकार (ले.एवं ह.)

परिशिष्ट 2.10

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा पूरे आबंटन की बचत
(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 71)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना	मूल आबंटन	अनुपूरक आबंटन	बचत	प्रतिशतता
1	2401-00-796-43	मौसम आधारित फसल बीमा	140.00	0.00	140.00	100.00
2	2401-00-102-43	पायलट योजना	110.00	0.00	110.00	100.00
3	2401-00-109-28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	2063.00	0.00	2063.00	100.00
4	2401-00-796-28		2754.00	0.00	2754.00	100.00
5	2401-00-109-29	सूक्ष्म सिंचाई योजना	261.00	0.00	261.00	100.00
6	2401-00-796-29		340.00	0.00	340.00	100.00
7	2401-00-789-20	मेक्रो प्रबंधन योजना	0.00	20.00	20.00	100.00
8	2401-00-789-53	झारखण्ड कृषि कार्ड योजना	50.00	0.00	50.00	100.00
9	2401-00-796-19	विस्तार सुधार	2250.00	0.00	2250.00	100.00
10	2401-00-796-60	खाद संग्रहन अनुदान	500.00	0.00	500.00	100.00
11	2401-00-796-67	मिट्टी उद्धार एवं मिट्टी प्रबंध	540.00	0.00	540.00	100.00
12	2401-00-800-68	योजना	460.00	0.00	460.00	100.00
13	2401-00-796-68	जमीन अधिग्रहन योजना	20.00	0.00	20.00	100.00
14	2401-00-800-69		15.00	0.00	15.00	100.00
15	2401-00-796-75	राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि विकास	50.00	0.00	50.00	100.00
16	2401-00-800-51		50.00	0.00	50.00	100.00
17	2401-00-796-76	कीटनाशक प्रयोगशाला का स्थापना	75.00	0.00	75.00	100.00
18	2401-00-800-71		75.00	0.00	75.00	100.00
19	2435-01-102-05	कृषि प्रयोगशाला का सशक्तीकरण एवं स्थापना	100.00	0.00	100.00	100.00
20	3475-00-106-03	राजकीय कानूनी सुधार का सशक्तीकरण	0.00	128.00	128.00	100.00
		कुल	9853.00	148.00	10001.00	

परिशिष्ट 2.11

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा निरर्थक अनुपूरक
(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ -72)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आबंटन			व्यय	बचत
		मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल आबंटन		
1	2401-00-103-01	437.89	0.82	438.71	331.25	107.46
2	2401-00-105-01	114.17	0.64	114.81	63.47	51.34
3	2401-00-107-09	715.21	0.21	715.42	640.74	74.68
4	2401-00-109-01	3024.85	6.60	3031.45	2587.76	443.69
5	2401-00-109-28	364.00	88.00	452.00	323.99	128.01
6	2401-00-119-05	337.93	0.20	338.13	145.77	192.36
7	2401-00-796-28	486.00	115.00	601.00	447.71	153.29
8	2401-00-796-58	100.00	25.00	125.00	4.25	120.75
9	2402-00-001-05	83.16	1.95	85.11	57.05	28.06
10	2402-00-101-01	211.60	3.15	214.75	183.10	31.65
11	2402-00-101-02	73.77	8.44	82.21	63.78	18.43
12	2402-00-102-04	1267.46	14.83	1282.29	1050.05	232.24
13	2415-80-796-04	3000.00	200.00	3200.00	2359.22	840.78
14	2415-80-796-15	2000.00	500.00	2500.00	1453.82	1046.18
15	3451-00-090-07	407.21	5.00	412.21	254.42	157.79
	कुल	12623.25	969.84	13593.09	9966.38	3626.71

परिशिष्ट 2.12

बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ -72)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	योजना	अंतिम आबंटन	व्यय	आधिक्य	प्रतिशतता
1	2401-00-001-01	गैर-योजना	125.22	125.40	0.18	0.14
2	2401-00-102-04	राज्य-योजना	435.55	505.08	69.52	15.96
3	2401-00-107-09	गैर-योजना	639.48	640.74	1.26	0.20
4	2401-00-108-01	गैर-योजना	7.60	7.69	0.09	1.18
5	2401-00-108-02	गैर-योजना	71.63	73.63	2.00	2.79
6	2401-00-109-03	गैर-योजना	6.53	6.56	0.03	0.46
7	2401-00-109-08	गैर-योजना	94.56	95.41	0.85	0.90
8	2401-00-109-19	राज्य-योजना	245.58	256.87	11.29	4.60
9	2401-00-109-20-के.	केन्द्रांश	167.49	180.89	13.40	8.00
10	2401-00-109-29	राज्य-योजना	567.70	571.01	3.31	0.58
11	2401-00-109-46	राज्य-योजना	98.57	106.43	7.86	7.97
12	2401-00-119-01	गैर-योजना	228.45	228.62	0.17	0.07
13	2401-00-119-05	गैर-योजना	145.52	145.77	0.25	0.17
14	2401-00-119-48	राज्य-योजना	60.76	62.92	2.16	3.55
15	2401-00-789-02	राज्य-योजना	186.54	190.55	4.00	2.14
16	2401-00-789-49	राज्य-योजना	197.95	217.47	19.51	9.86
17	2401-00-796-20-के.	केन्द्रांश	36.28	63.54	27.26	75.14
18	2401-00-796-20	राज्य-योजना	4.58	4.64	0.07	1.53
19	2401-00-796-34	राज्य-योजना	39.67	39.97	0.29	0.73
20	2401-00-796-49- के.	केन्द्रांश	116.49	117.59	1.09	0.94
21	2401-00-796-61	राज्य-योजना	65.77	70.58	4.81	7.31
22	2401-00-796-66	राज्य-योजना	47.89	49.80	1.91	3.99
23	2401-00-800-49	केन्द्रांश	25.01	125.38	100.37	401.32
24	2401-00-800-53	राज्य-योजना	6216.42	6454.84	238.41	3.84
25	2401-00-800-66	राज्य-योजना	217.02	223.56	6.54	3.01
26	2402-00-101-02	गैर-योजना	63.72	63.78	0.06	0.09
27	2402-00-102-04	गैर-योजना	1020.89	1050.05	29.16	2.86
28	2415-01-004-02	गैर-योजना	78.13	78.22	0.09	0.12
29	2415-01-277-01	गैर-योजना	8.05	8.08	0.03	0.37
30	2415-01-277-02	गैर-योजना	96.44	96.62	0.18	0.19
31	3451-00-090-07	गैर-योजना	254.42	254.92	0.50	0.20
कुल			11569.91	12116.61	546.65	

परिशिष्ट 2.13

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण
(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 73)

(₹ में)

क्र. सं.	डी.डी.ओ. कोड	पदनाम	ए.सी.विपत्र सं.	आहरित राशि	सौंपे गये डी.सी. विपत्र	शेष
1	बीकेआरएसी एच 001	उप प्रमंडल, कृषि पदाधिकारी बेरमो, तेनुघाट	105	1250670	0	1250670
2	बीकेआरएसी एच 002	मिट्टी संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, बोकारो	84/12-13	4500000	0	4500000
			81/12-13	2428143	0	2428143
3	सीटीआरएसीएच 001	जिला उद्यान पदाधिकारी, चतरा	165/12-13	1135300	0	1135300
4	सीटीआरएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, चतरा	238/12-13	280000	0	280000
			237/12-13	129704	0	129704
			245/12-13	4812200	0	4812200
			243/12-13	12000000	0	12000000
			244/12-13	3731000	0	3731000
5	डीजीआरएसीएचई 67	उप कृषि पदाधिकारी, देवघर	160/12-13	1250670	0	1250670
6	डीजीआरएसडब्ल्यू सीई 69	मिट्टी संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, देवघर	158/12-13	387200	0	387200
			133/12-13	70000	0	70000
			152/12-13	7079300	0	7079300
7	डीएचएनएसीएच 001	जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद	162/12-13	1515300	0	1515300
8	डीएचएनएनएस 001	मिट्टी संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, धनबाद	200/12-13	1249336	0	1249336
9	डीएमकेएसडब्ल्यू सी 002	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, दुमका	178/12-13	2025000	0	2025000
			160/12-13	57000	0	57000
			177/12-13	2900000	0	2900000
10	जीएमएलएसडब्ल्यू सी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, गुमला	127/12-13	10125000	0	10125000
			126/12-13	6000000	0	6000000
11	जीआरडीएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, गिरीडीह	156/2012-13	1939586	0	1939586
12	जीआरएचएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, गढ़वा	100/12-13	1000000	0	1000000
			102/12-13	12000000	0	12000000
13	एचजेडबीएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग	156/2012-13	762500	762500	0
			157/2012-13	322000	322000	0
14	एचजेडबीएसडब्ल्यूसी 002	मिट्टी एवं जल संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग	68/2012-13	18938500	0	18938500
			69/2012-13	546500	0	546500
15	एचजेडबीएसडब्ल्यूसी 003	मिट्टी एवं जल संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग	264/12-13	1800000	0	1800000
			242/12-13	2373500	0	2373500
16	जेएमटीएसीएच 001	उप प्रमंडल, कृषि पदाधिकारी, जामतारा	134/12-13	1135300	0	1135300

परिशिष्ट 2.13 क्रमशः ...

क्र. सं.	डी.डी.ओ. कोड	पदनाम	ए.सी.विपत्र सं.	आहरित राशि	सौंपे गये डी.सी. विपत्र	शेष
17	जेएमटीएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, जामतारा	120/2012-13	78000	0	78000
			117/2012-13	6122000	0	6122000
18	जेएसआरएसडब्ल्यूसी 003	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, जमशेदपुर	117/12-13	4311000	0	4311000
19	जेएसआरएसडब्ल्यूसी 002	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, घाटशिला	55/2012-20	1454000	0	1454000
20	एलडीजीएसीएच 001	जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	151/12-13	1135300	0	1135300
21	एलटीआरएसडब्ल्यूसी 002	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, लातेहार	101/12-13	2025920	0	2025920
			100/12-13	1859355	0	1859355
22	एमएचएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, महेशपुर	212/12-13	6300000	0	6300000
			211/12-13	3050000	0	3050000
			209/12-13	10000000	0	10000000
			210/12-13	3700000	0	3700000
23	आरएनसीएसीएच 017	सहायक बीज जाँच पदाधिकारी, राँची	90/12-13	500000	0	500000
24	आरएनसीएसीएच 028	उप निदेशक, कृषि (सामान्य), राँची	237/12-13	2400000	0	2400000
			272/12-13	3475314	0	3475314
25	आरएनसीएसीएच 070	उप निदेशक, उद्यान, राँची	23/12-13	60000000	60000000	0
			71/12-13	60000000	0	60000000
26	आरएनसीएसीएच 018	जिला कृषि पदाधिकारी, राँची	178	1515300	0	1515300
27	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 004	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, बुण्डू, राँची	175	4675000	0	4675000
			176/12-13	3256571	0	3256571
28	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 006	सहायक निदेशक एसयूआर.एस.सी, राँची	115/2012-13	3850083	0	3850083
29	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 007	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, राँची	148/2012-13	6200000	0	6200000
			144	12954500	0	12954500
30	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 010	उप निदेशक, मिट्टी संरक्षण, राँची	91/12-13	202000	0	202000
31	आरएनसीएसडब्ल्यू सीके 01	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, खूँटी, बुण्डू	163/12-13	10000000	0	10000000
32	एसबीजेएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, साहेबगंज	62/2012-13	65000	0	65000
			95/12-13	8100000	0	8100000
			94/12-13	8400000	0	8400000
33	एसडीजीएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, सिमडेगा	125/12-13	4145422	0	4145422
			115/12-13	6000000	0	6000000
34	एसजीएचएसीएच 002	उप प्रमण्डलीय कृषि पदाधिकारी, सिंहभूम	164/2012-13	1269600	0	1269600
कुल				340788074	61084500	279703574

स्रोत: महालेखाकार (ले.एवं हक.),झारखण्ड द्वारा रखे गए वाउचर स्तरीय कंप्यूटरीकृत डाटा

परिशिष्ट - 3.1

31 मार्च 2013 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र
(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2011-12 तक (2010-11 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2012-13 के दौरान(2011-12 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	80	573.87	2	1.81	82	575.68
मानव संसाधन विकास	36	142.69	11	110.26	47	252.95
सहकारिता	72	124.47	28	32.56	100	157.03
पशुपालन	31	14.47	2	1.85	33	16.32
चिकित्सा	0	0	1	10.00	1	10.00
कल्याण	119	134.00	139	13.74	258	147.74
कृषि	25	55.14	6	78.50	31	133.64
भूमि सुधार	2	0.63	0	0	2	0.63
नगर विकास	2364	670.49	541	399.61	2905	1070.10
अन्य	690	1370.38	150	906.01	840	2276.39
कुल	3419	3086.14	880	1554.34	4299	4640.48

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

नि.म.ले.प. डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 76)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति(एन.जी.ओ.सी.), मोराबादी, राँची	राँची	2008-09
2	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	बोकारो	2011-12
3	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	चाईबासा	2008-09
4	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	चतरा	2011-12
5	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	डालटेनगंज	2010-11
6	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	देवघर	2011-12
7	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	धनबाद	2011-12
8	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	दुमका	2010-11
9	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गढ़वा	2010-11
10	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गोड्डा	2011-12
11	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गुमला	2010-11
12	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	हजारीबाग	2011-12
13	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	जमशेदपुर	2011-12
14	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	जामताड़ा	2011-12
15	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	खूँटी	2011-12
16	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	कोडरमा	2011-12
17	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	लातेहार	2011-12
18	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	लोहरदगा	2010-11
19	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	पाकुड़	2011-12
20	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	रामगढ़	2011-12
21	शिक्षा	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	राँची	3/2007
22	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	राँची	शून्य
23	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	साहेबगंज	2011-12
24	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	सरायकेला	2011-12
25	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	सिमडेगा	2010-11
26	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गिरिडीह	2010-11
27	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	बोकारो	अगस्त 2012
28	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	चतरा	शून्य
29	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	देवघर	नवम्बर 2012
30	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	धनबाद	2010-11
31	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	दुमका	फरवरी 2012

परिशिष्ट 3.2 क्रमशः ...

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
32	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पूर्वी सिंहभूम	2011-12
33	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गढ़वा	शून्य
34	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गिरिडीह	दिसम्बर 2012
35	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गोड्डा	2010-11
36	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गुमला	2010-11
37	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	हजारीबाग	शून्य
38	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	जामताड़ा	शून्य
39	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	खूँटी	2011-12
40	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	कोडरमा	शून्य
41	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लातेहार	शून्य
42	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लोहरदगा	जुलाई 2012
43	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पाकुड़	शून्य
44	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पलामू	शून्य
45	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	रामगढ़	2011-12
46	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति) राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, नामकुम के अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ सहित	राँची	2011-12
47	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	नवम्बर 2011
48	स्वास्थ्य	प्राचार्य, रिनपास कांके	राँची	2004-05
49	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सरायकेला खरसावो	शून्य
50	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सिमडेगा	शून्य
51	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पश्चिम सिंहभूम	शून्य

परिशिष्ट 3.2 क्रमशः ...

क्र. सं	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखा परीक्षा की तिथि
52	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	शून्य
53	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य रोग सहायता प्रबंधन सोसाइटी	राँची	शून्य
54	कल्याण	निदेशक, संचाल परगना सेवा दल, देवघर	देवघर	शून्य
55	कल्याण	निदेशक, भारत सेवाश्रम संघ, घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम	2010-11
56	कल्याण	निदेशक, भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी	जमशेदपुर	2006-07
57	कल्याण	निदेशक, आर.के. मिशन टी.बी.सैनिटोरियम, तुपुदाना	राँची	शून्य
58	कल्याण	निदेशक, आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
59	कल्याण	झारखण्ड महिला सामाख्या सोसाइटी (जे.एम.एस.एस.),कडरू, राँची	राँची	शून्य
60	स्वास्थ्य	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान	राँची	2012-13
61	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
62	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चतरा	2011-12
63	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
64	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2011-12
65	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	दुमका	2004-05
66	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2011-12
67	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11
68	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
69	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12
70	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गुमला	2011-12
71	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2011-12
72	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
73	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2011-12
74	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
75	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पलामू	2009-10
76	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	राँची	2004-05
77	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2004-05
78	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2009-10
79	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
80	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
81	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
82	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
83	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	सितम्बर 2010
84	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
85	उच्च शिक्षा	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2011-12

स्रोत: प्रधान महालेखाकार कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखा परीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयाविधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिष्पनी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रयाप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः ...

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं संविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियों राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल हैं।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियों ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः ...

	आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्राहित ऋण भी कहा जाता है। यह सामेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अप्रयाप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उच्चत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः ...

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी.बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी.बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी. ओ. आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नितिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर. ई.	राजस्व व्यय
आर. आर.	राजस्व प्राप्तियों
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरियों
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी. ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर